तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	२४.१२.२०
	पत्रावली पेश हुई अनुसार उक्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर शा. मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)

रकबा 00.03 बीघा, ख.न. 383/255 रकबा 00.01 बीघा, ख.न. 388/256 रकबा 01.03 बीघा कुल रकबा 01.07 बीघा भूमि नजरी नक्शा के अनुसार ए बी सी डी तक 20 फुट चौड़ा रास्ता घोषित किया जाता है अगर उक्त घोषित किये रास्ता में कोई अवरोधक हो तो रास्ता अवरोधक के पास घुमाकर रास्ता निकाला जाये। घोषित किये गये रास्ते पर किसी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा । यह रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो सभी के लिए उपयोग उपभोग में काम आयेगा।

अतः तहसीलदार खींवसर को यह आदेश दिये जाते है कि :-

आदेश

अतः प्रार्थी के खेत ख.न. 385/256 एवं 387/256 में आने जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एवं तहसीलदार खींवसर द्वारा अपनी जाचं रिपोर्ट में दर्शाया गया नजरी नक्शा ए.बी.सी.डी के अनुसार यानि की ख.न. 382 रकबा 00.03 बीघा, ख.न. 383/255 रकबा 00.01 बीघा, ख.न. 388/256 रकबा 01.03 बीघा कुल रकबा 01.07 बीघा भूमि नजरी नक्शा के अनुसार ए बी सी डी तक 20 फुट चौड़ा रास्ता घोषित किया जाता है अगर उक्त घोषित किये रास्ते में कोई अवरोधक हो तो रास्ता अवरोधक के पास घुमाकर रास्ता निकाला जाये। घोषित किये गये रास्ते पर किसी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा । यह रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो सभी के लिए उपयोग उपभोग में काम आयेगा। तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है ।

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को प्रभावित रकबा 01.07 बीघा की डीएलसी की दर से दुगुनी अर्थात 33,368/- रूपये प्रार्थी अप्रार्थीगण को हिस्से अनुसार उक्त राशि अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 09 को देय करेगें। अगर अप्रार्थीगणं उक्त राशि प्राप्त नहीं करते है तो प्रार्थी उक्त राशि तहसीलदार खींवसर के पास जमा करायेगें। तहसीलदार खींवसर रास्ते की भूमि के राजस्व रिकार्ड के हिस्से अनुसार अप्रार्थीगण के खातेदारों को राशि का भुगतान करे । उक्त रास्ते का राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते पर किसी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा । यह रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो सभी के लिए उपयोग उपभोग में काम आयेगा।

नोटः- उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश किसी भी बैंक में उपरोक्त खसरा रहन न हो तो रहन मुक्त होने के प्रश्चात उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उक्त निर्णय आज दिनांक : 24.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक कलक्टर (SD)
खींवसर